

समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड विकलांग भरण-पोषण अनुदान (पेंशन का प्रार्थना पत्र)

1. आवेदक का नाम

2. पिता / पति का नाम.....

3. स्थायी पता:-

ग्राम/ मौहल्ला..... पोस्ट-.....

ग्राम पंचायत / वार्ड का नाम.....न्याय पंचायत.....

विकास खण्ड तहसील जनपद

4.1 विकलांगता का प्रकार.....

4.2 विकलांगता का प्रतिशत.....

4.3 यदि कृष्ट रोग उपचारित हों तो स्पष्ट उल्लेख करें.....

5. जाति.....

6 बी.पी.एल. चयनित परिवार का कमांक या वार्षिक आय का प्रमाण-पत्र.....
(उपरोक्त में से कोई एक अनिवार्य रूप से प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

७ जन्मतिथि / आय (रजिस्टर भाग—दो / फोटो पहचान पत्र / ईक्षिक अभिलेख के आधार पर)

8 (1) डाकघर / डुई बैंकिंग सविधायक्त बैंक का नाम एवं पता.....

(2) खाता सं०

(3) IFS Code No _____

(4) डाकघर / बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटो प्रति (अनिवार्य रूप से संलग्न करें)

अभ्यर्थी द्वारा घोषणा

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि आवेदन-पत्र में दी गयी सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही है। किसी भी असत्य या छिपायी गयी सूचना हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा / रहूँगी। किसी भी बिन्दु पर दी गयी असत्य सूचना के लिये मैं पेशन के रूप में प्राप्त धनराशि को भू-राजस्व के रूप में राजकोष में जमा करूँगी।

दिनांक:

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती..... का (मात्र विकलांग पेंशन के अभ्यर्थियों हेतु भरा जायेगा) का विकलांग पेंशन हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी का विकलांगता प्रमाण-पत्र संलग्न है।

— १८ —

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
को दस्तावेज़ का सर्वानुवाद

ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर
परं पत्र

साहस्री श्वेत के लिये

सहारो समाज कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर पंत मदर

तहसीलदार के हस्ताक्षर एवं महर